<u>अप्रतिवैद्य</u>

भारत का उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 586/2021

(एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3679/2021से उत्पन्न)

ममता नायर .....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी (गण)

<u>आदेश</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील एकल पीठ आपराधिक विविध चतुर्थ जमानत आवेदन संख्या 13680/2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 01.12.2020 को पारित आदेश की आलोचना करते हुए दायर की गई है। इसमें अपीलकर्ता प्रत्यर्थी नं. 2की बहन और मृतक की पत्नी है। चूंकि प्रत्यर्थी नं. 2कथित रूप से अपीलकर्ता के पति की हत्या का मुख्य षड्यंत्रकारी है, अपीलकर्ता उस आक्षेपित आदेश से व्यथित है जिसके तहत प्रत्यर्थी नं. 2को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

3. वाद का विषय भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 452 और 120 बी के तहत अपराध के लिए करणी विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज दिनांक 17.05.2017 की प्राथमिकी संख्या 235 से संबंधित है। अपीलकर्ता की सास श्रीमती रमा देवी नायर, जो मृतक की मां भी हैं, ने उक्त शिकायत दर्ज करायी थी। इसमें शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता के पति की अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा सम्मान की रक्षा के लिए हत्या (ओनर किलिंग) कर दी गई क्योंकि वे मृतक और अपीलकर्ता के विवाह के लिए सहमत नहीं थे। घटना को और अधिक विस्तार से संदर्भित करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रकरण अभी भी सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित है इसलिएपक्षकार इसमें आरोप-प्रत्यारोप कर सकते है। इसके अलावा, जमानत से संबंधित एक मामले में आवश्यक सीमित पहलू पर इस न्यायालय ने पहले ही इसी प्रकार की घटना से संबंधित आपराधिक अपील संख्या 780/2018का निपटान करते समय संज्ञान लिया है।

4. इस अपील में परिवेदना यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रकरण के इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना ही यांत्रिक तरीके से एक आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा कर दिया है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री इंदिरा जयसिंह, राजस्थान राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता

श्री एच. डी. थानवी, प्रत्यर्थी नं. 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. के. शुक्ला के तर्कों को सुना और आक्षेपित आदेश और रेकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का भी अवलोकन किया।

6. आक्षेपित आदेश दिनांक 01.12.2020 वास्तव में प्रत्यर्थी नंबर 2 के अधिवक्ता के इस तर्क का उल्लेख करता है कि पहले के एक उदाहरण में इस न्यायालय ने जमानत रद्द कर दी थी और उसके बाद गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। प्रत्यर्थी नं. 2के अधिवक्ता ने इसमें अपीलकर्ता के साक्ष्य का उल्लेख किया और उस संदर्भ में प्रत्यर्थी नं. 2को रिहा करने के लिए जमानत की मांग की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कथित तर्क का उल्लेख करने के अलावा कोई कारण निर्दिष्ट नहीं किया है। यह हो सकता है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी नं. 2मुकेश चौधरी को जमानत पर रिहा करने के लिए दिनांक03.11.2017 को एक आदेश पारित किया गया था। अपीलकर्ता की सास श्रीमती रमा देवी नायर ने उक्त आदेश की अपील की थी। इस न्यायालय ने परिस्थिति का संज्ञानलेते हुए,जमानत को रद्द करने के निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, इस प्रकार कहा कि:-

"प्राथमिकी और आरोप पत्र के पठन से पता चलता है कि प्रथमदृष्टया प्रत्यर्थी नं. 2के खिलाफ साक्ष्य है और इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी

राय है कि फिलहाल, प्रत्यर्थी नं. 2को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। विचारण लंबित होने के कारण हम प्रकरण के विवरण में जाने के इच्छुक नहीं हैं।"

7. इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि प्रथमदृष्टया प्रत्यर्थी नं. 2के खिलाफ साक्ष्य हैं। हालांकि इसमें अपीलकर्ता, यानी, मृतक की पत्नी को परीक्षित किया गया है और उसके बयान के संबंध में एक विवाद पेश किया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से सबूत नहीं माना जा सकता है और ऐसे किसी एक कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा, केवल अपीलकर्ता को प्रधान गवाह के रूप में वर्गीकृत करना और उसके बयान का उल्लेख करना कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सत्र न्यायालय द्वारा पूरे साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि इस प्रकार की स्थिति है कि जब इस न्यायालय ने पहले इस मामले में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ साक्ष्य है,यहाँ उच्च न्यायालय द्वारा केवल अपीलकर्ता के परीक्षण को प्रत्यर्थी संख्या 2के चतुर्थ जमानत आवेदन पर विचार करने और उसे जमानत पर रिहा करने के लिएपर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, हमारी यह सुविचारित राय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 01.12.2020 को पारित आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं है। तदनुसार इसे रद्द किया जाता है और प्रत्यर्थी नं. 2को दी गई जमानत रद्द कर दी जाती है। इसलिए, हम प्रत्यर्थी नं. 2मुकेश चौधरी को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, क्रम संख्या 7, जयपुर के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है औरविचारण न्यायालय इस प्रकरण परयहाँ की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना विचारण किया जायेगा।

9. उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते समय संज्ञान लिया है कि 47 गवाहों में से अब तक 17 गवाहों से जिरह की जा चुकी है। यह अविवाद्य है कि इस समय 21 गवाहों से जिरह की जा चुकी है और मुकदमा अभी चल रहा है। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि विचारण जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। अतः विचारण न्यायालय विचारण को समाप्त करने और मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा किंतु किसी भी दशा में इसके निपटान मेंइस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय नहीं लेगा।

10. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

.....सी.जे.आइ

(एन. वी. रमना)

.....जे.

(ए. एस. बोपन्ना)

.....जे.

(ऋषिकेश रॉय)

नई दिल्ली

12 जुलाई, 2021

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए

इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।